तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/16	वादीगण ने यह वादपत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि तत्कालीन चक 2 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ में खाता संख्या 14/15 सम्वत 2024–2027 में बशीर अहमद पि. मु. नूरनिशा निस्फ व भारत सरकार निस्फ अलॉटी परमानंद पुत्र दौलतराम कुल 900 हिस्सा अर्थात 45 बीघा भूमि पत्थर नम्बर 105/255 (24) के किला नम्बर 13 से 18, 23 से 25, पत्थर नम्बर 105/256 (34) के किला नम्बर 3 से 8, 13 से 18, पत्थर नम्बर 99/260 (66) के किला नम्बर 22 से 24, पत्थर नम्बर 100/261 (77) के किला नमबर 1, 2, 9 से 12, पत्थर नम्बर 99/261 (78) के किला नम्बर 2 से 9, 12 से 18 राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। परमानंद पुत्र दौलतराम को भारत सरकार के निस्फ हिस्सा 450 हिस्सा में से 210 हिस्सा अर्थात 10 बीघा 10 बिस्वा पत्थर नम्बर 105/256 (34) के किला नम्बर 3/0. 10, 4, 6 से 8, 13 से 18 आंवटित हुई व इस भूमि की सनद पुनर्वास विभाग से प्राप्त हुई तथा इन्तकाल संख्या–30 दिनांक 6.12.73 दर्ज हुआ व शेष 240 बीघा राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम दर्ज रही। वादीगण ने यह कथन किये हैं कि तत्पश्चात् सन् 1976 में भू–प्रबन्ध प्रारम्भ हुआ तथा भू–प्रबन्ध के दौरान चक 2 एसटीजी की उक्त वर्णित 45 बीघा भूमि दो चकों में विभाजित हुई जिसमें चक 1 एसटीजी में पत्थर नम्बर 105/255 (77) के किला नम्बर–13 से 18, 23 से 25, पत्थर नम्बर–105/256 (78) के किला नम्बर–3 से 8, 13 से 18 कुल 21 बीघा पैमूद हुई व चक 2 एसटीजी में पत्थर नम्बर 99/260 (41) के किला नम्बर–22 से 24, पत्थर नम्बर 100/261 (52) के किला नम्बर 1, 2, 9 से 12, पत्थर नम्बर 99/261 (53) के किला नम्बर 2 से 9, 12 से 18 कुल 24 बीघा पैमूद हुई। चक विभाजन के बावजूद भी भू–प्रबन्ध विभाग ने खतौनी जमाबन्दी तैयार करते समय चक 2 एसटीजी की 24 बीघा भूमि के खाता में हिस्साकशी में कोई परिवर्तन नहीं किया बल्कि खतौनी जमाबन्दी में "कुल 900 हिस्साः–बशीर अहमद पि0मु0 नूरनिशा 450, परमानंद वल्द दौलतराम कौम अरोड़ा 210 हिस्सा, राष्ट्रपति भारत सरकार 240 हिस्सा" गलत रूप से यथावत दर्ज रखा। इसी प्रकार चक 1 एसटीजी में पैमूद हुई 21 बीघा भूमि के सम्बन्ध में भू–प्रबन्ध विभाग ने परमानन्द पुत्र दौलतराम को आवंटित 10 बीघा 10 बिस्वा का खाता संख्या–8 अलग कायम कर दिया व शेष 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि खतौनी जमाबन्दी के खाता संख्या–14 में "कुल 690 हिस्साः–राष्ट्रपति भारत सरकार 240 हिस्सा, बशीर अहमद पि0मु0 नूरनिशा 450 हिस्सा खातेदार" गलत रूप से यथावत दर्ज कर दिया। वादीगण ने यह कथन किया है कि वस्तुतः बशीर अहमद पि0मु0 नूरनिशा के कब्जा काश्त में कुल 45 बीघा में से चक परिवर्तन उपरान्त चक 1 एसटीजी में पत्थर नम्बर 105/255 (77) के किला नम्बर 13 से 18, 23 से 25 व पत्थर नम्बर 105/256 (78) के किला नम्बर 3/0.10, 5 कुल 10 बीघा 10 बिस्वा व चक 2 एसटीजी के पत्थर नम्बर 99/260 (41) के किला नम्बर 22 से 24, पत्थर नम्बर 99/261 (53)	

सहायक कलक्टर

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... जो इस...
	किला नम्बर 2–3–8–9, 12 से 14 व 17–18 कुल 12 बीघा कुल तादादी 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी तथा इसके अलावा उसने परमानंद पुत्र दौलतराम की 10 बीघा 10 बिस्वा आंवटित एवं खातेदारी भूमि में से पत्थर नम्बर 105/256 (78) के किला नम्बर 3/0.10, 4, 6 से 8 कुल 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपनी अन्य भूमि का तबादला कर भू–प्रबन्ध के दौरान मिसल नम्बर 442/78 फैसला दिनांक 23.10.78 अपने नाम दर्ज करवाई व परमानन्द पुत्र दौलतराम की पत्थर नम्बर 105/256 (78) किला नम्बर 13 से 18 कुल 6 बीघा शेष रही। वादीगण ने यह कथन किया है कि चक 2 एसटीजी की 24 बीघा भूमि में से बशीर अहमद पि0मु0 नूरनिशा की पूर्वोक्त वर्णित 12 बीघा के अलावा शेष 12 बीघा अर्थात 240 हिस्सा राष्ट्रपति भारत सरकार की थी जो पत्थर नम्बर 100/261 (52) किला नम्बर 1, 2, 9 से 12 व पत्थर नम्बर 99/261 (53) के किला नम्बर 4 से 7, 15, 16 कुल 12 बीघा पर पैमूद थी। उक्त 12 बीघा भूमि कस्टोडियन विभाग ने एक व्यक्ति कृपाल सिहं पुत्र श्री इन्द्र सिहं जाति जटसिख को आंवटित की तथा इन्तकाल संख्या 49 दिनांक 1.3.85 के जरिये उक्त भूमि कृपाल सिहं पुत्र श्री इन्द्र सिहं के नाम दर्ज हुई। उक्त कृपाल सिहं ने उक्त भूमि एक महिला जंगीर कौर धर्मपत्नि श्री गुररदयाल सिहं को विक्रय की तथा सिविल न्यायालय की डिक्री एवं सिविल न्यायालय के द्वारा निष्पादित बैयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या–33 दिनांक 21.5.89 के जरिये जंगीर कौर धर्मपत्नि श्री गुरदयाल सिहं के नाम दर्ज हुई। वादीगण ने यह कथन किया है कि बशीर अहमद ने चक 2 एसटीजी में स्थित अपनी 12 बीघा भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 29.5.84 पत्थर नम्बर 99/260 किला नम्बर–22, 23, 24 व पत्थर नम्बर–99/261 किला नम्बर 2, 9, 12 कुल 6 बीघा भूमि वादी संख्या 4 बलविन्द्र सिहं को विक्रय की तथा पत्थर नम्बर 99/261 किला नम्बर 3, 8, 13, 14 17, 18 कुल 6 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 30.5.84 वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 17 नायब सिहं, अजायब सिहं, हरविन्द्र सिहं व जगतार सिहं को विक्रय की । इन बैयनामों के आधार पर चक 2 एसटीजी की भूमि का इन्तकाल संख्या 60 वादी संख्या 4 के पक्ष में व इन्तकाल संख्या 92 वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 17 के पक्ष में दर्ज हुआ व राजस्व अभिलेख में वादी संख्या 4 का 120 हिस्सा व वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 17 का बहिस्सा बराबर 120 हिस्सा दर्ज हुआ। इसी प्रकार श्रीमति जंगीर कौर धर्मपत्नि श्री गुरदयाल सिहं ने श्री कृपाल सिहं पुत्र श्री इन्द्र सिहं से क्रयशुदा 12 बीघा भूमि में से पत्थर नम्बर 100/261 (52) किला नम्बर 1–2, 9 से 12 व पत्थर नम्बर 99/261 किला नम्बर 5–6–15–16 कुल 10 बीघा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 6.8.99 वादिया संख्या 5 बलजीत कौर को विक्रय की तथा इस बैयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 190 वादिया संख्या 5 के नाम दर्ज होकर राजस्व अभिलेख में सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादिया संख्या 5 का 200 हिस्सा दर्ज हुआ। श्रीमति जगीर कौर धर्मपत्नि श्री गुरदयाल सिहं ने अपनी शेष 2 बीघा भूमि पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर 4 व 7 जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 26.10.99 वादीगण संख्या 1 व 2 नायब सिहं व अजायब सिहं को विक्रय कर दी तथा इस बैयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या–193 वादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होकर राजस्व अभिलेख में वादीगण संख्या 1 व 2 का 40 हिस्सा दर्ज हुआ।

इस प्रकार चक 2 एसटीजी की कुल 24 बीघा भूमि वादीगण द्वारा खरीद की जाकर राजस्व अभिलेख में वादी संख्या 4 का 120 हिस्सा, वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 17 बहिस्सा बराबर 120 हिस्सा, वादिया संख्या 5 का 200 हिस्सा व वादीगण संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर 40 हिस्सा कुल 480 हिस्सा अर्थात 24 बीघा दर्ज हो चुका है।

वादीगण ने यह भी कथन किया है कि चक 1 एसटीजी की 21 बीघा भूमि में बशीर अहमद के कब्जा व हिस्सा की पत्थर नम्बर 105/255 (77) के किला नम्बर 13 से 18, 23 से 25 व पत्थर नम्बर 105/256 (78) के किला नम्बर 3 से 8 कुल 15 बीघा भूमि थी जो तथ्य जमाबन्दी चक 1 एसटीजी खाता संख्या 24/24 व 25/25 से स्पष्ट है। इस भूमि में से बशीर अहमद ने पत्थर नम्बर 105/256 (78) किला नम्बर 3 से 8 कुल 6 बीघा श्री गुलजार सिंह पुत्र मुकन्द सिहं जाति जटसिख को विक्रय कर दी व इन्तकाल संख्या 57 उक्त श्री गुलजार सिहं के नाम दर्ज हुआ। शेष 9 बीघा भूमि में से 1 बीघा गुलजार सिहं पुत्र मुकन्द सिहं, 4 बीघा राजेन्द्र कौर धर्मपत्नि श्री गुलजार सिहं व 4 बीघा निर्मल सिहं पुत्र गुलजार सिहं को विक्रय कर दी। इस प्रकार बशीर अहमद ने चक 1 एसटीजी की कुल 15 बीघा भूमि भी मुन्तकिल कर दी। वादीगण ने इन तथ्यों के समर्थन में इन्तकाल संख्या 57, 75, 84, 108 व 112 तथा चक 1 एसटीजी के खाता संख्या 8/8, खाता संख्या 44/27 तथा वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 15/15 व 16/6 सम्वत 2067–2070 प्रस्तुत की है।

वादीगण ने यह कथन भी किया है कि स्व0 श्री परमानंद पुत्र श्री दौलतराम ने चक 1 एसटीजी में पत्थर नम्बर 105/256 (78) के किला नम्बर 13 से 18 कुल 6 बीघा शेष रही भूमि श्री चिमनलाल पुत्र श्री बीरबलदास को विक्रय कर दी व उक्त क्रेता श्री चिमनलाल के पक्ष में इन्तकाल संख्या 44 दर्ज हुआ। वादीगण ने इन्तकाल संख्या 44 व जमाबन्दी खाता संख्या 10/18 प्रस्तुत की है। चिमनलाल ने भी उक्त 6 बीघा भूमि श्री बलदेव सिहं पुत्र श्री हाकम सिहं जाति कम्बोजसिख को विक्रय कर दी तथा उक्त क्रेता श्री बलदेव सिहं के पक्ष में इन्तकाल संख्या–64 दर्ज हुआ। वादीगण ने इस इन्तकाल संख्या–64 व जमाबन्दी खाता संख्या 29/10 व खाता संख्या 28/29–30 प्रस्तुत की है। उक्त बलदेव सिहं ने भी यह भूमि श्रीमति परमपाल कौर धर्मपत्नि श्री बलकरण सिहं पुत्र श्री जोरा सिहं जाति जटसिख निवासी मक्कासर को विक्रय कर

सहायक कलक्टर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दी तथा क्रेता श्रीमति परमपाल कौर के पक्ष में इन्तकाल संख्या 156 दिनांक 20.5.2004 दर्ज हुआ। वादीगण ने इन्तकाल संख्या 156 की नकल प्रस्तुत की है। उक्त श्रीमति परमपाल कौर ने यह भूमि श्रीमति विजयलक्ष्मी धर्मपत्नि डॉ0 दलवीर सिहं जाति बिश्नोई को विक्रय कर दी तथा उक्त क्रेता श्रीमति विजयलक्ष्मी के पक्ष में इन्तकाल संख्या 169 दिनांक 5.11.2005 दर्ज हुआ। वादीगण ने इन्तकाल संख्या 169 की नकल प्रस्तुत की है तथा यह 6 बीघा भूमि वर्तमान में श्रीमति विजयलक्ष्मी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

इस प्रकार वादीगण ने राजस्व अभिलेख की स्थिति स्पष्ट करते हुये यह कथन किये हैं कि कुल 45 बीघा भूमि में से बशीर अहमद ने अपना निस्फ हिस्सा 22 बीघा 10 बिस्वा जो चक 1 एसटीजी में 10 बीघा 10 बिस्वा व चक 2 एसटीजी में 12 बीघा था, मुन्तकिल कर दिया है व इसी प्रकार स्व0 श्री परमानन्द को आंवटित 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो चक 1 एसटीजी में फिट हुई थी, को भी उस द्वारा मुन्तकिल किया जा चुका है लेकिन भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने बंदोबस्त उक्त 45 बीघा भूमि दो चकों में विभाजित करते समय चक 2 एसटीजी की 24 बीघा की जमाबन्दी में इन्दाज "कुल 900 हिस्साः-बशीर अहमद पि0मु0 नूरनिशा 450 हिस्सा, परमानन्द वल्द दौलतराम कौम अरोड़ा 210 हिस्सा, राष्ट्रपति भारत सरकार 240 हिस्सा खातेदार" कतई गलत एवं विधि विरूद्व रूप से कर दिया। जबकि वस्तुतः इस 24 बीघा के खाता में बशीर अहमद का निस्फ 12 बीघा व राष्ट्रपति भारत संरकार का निस्फ 12 बीघा ही दर्ज होना चाहिए था। राजस्व अभिलेख में हुई उक्त त्रुटि के परिणामस्वरूप चक 2 एसटीजी की जमाबन्दी में बशीर अहमद द्वारा अपना सम्पूर्ण 240 हिस्सा विक्रय कर देने के बावजूद उसके नाम 210 हिस्सा गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है व इसी प्रकार परमानन्द पुत्र दौलतराम की आंवटित भूमि 10 बीघा 10 बिस्वा चक 1 एसटीजी में पैमूद होने के बावजूद एवं उसके द्वारा यह भूमि मुन्तकिल करने के बावजूद भी चक 2 एसटीजी के खाता में उसके नाम से 210 हिस्सा गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। चक 2 एसटीजी में बशीर अहमद एवं परमानंद के हिस्सा की कोई भूमि नहीं है बल्कि इस खाता की कुल 24 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 17 की क्रयशुदा खातेदारी भूमि है। स्व0 श्री बशीर अहमद का चक 2 एसटीजी की प्रश्नगत 24 बीघा में कोई हक व हिस्सा न होने के बाजवूद स्व0 श्री बशीर अहमद के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 ने जमाबन्दी में स्व0 श्री बशीर अहमद का नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर दिनांक 18.2.2013 को विरास्तन इन्तकाल संख्या 453 दर्ज व तस्दीक करवाया है। इस गलत व विधि विरूद्व का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण प्रश्नगत 24 बीघा भूमि पर किसी वितीय संस्था, बैंक आदि से ऋण उठाकर इस भूमि को अधिभारित करने पर तुले हुये हैं तथा वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं, इसलिए वादीगण ने इस आशय की घोषणा चाही है कि चक 2 एसटीजी के खाता संख्या 53/42 सम्वत 2068-2071

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

तादादी 24 बीघा अर्थात 6.072 हैक्टेयर में वादीगण संख्या–1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 17 बहिस्सा बराबर 120 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 120 हिस्सा व वादीगण संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर 40 हिस्सा तथा वादिया संख्या 5 का 200 हिस्सा का खातेदारी हक है तथा राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि "बशीर अहमद पि0मु0 नूरनिशा 210 हिस्सा कौम राठ व परमानंद वल्द दौलतराम 210 हिस्सा कौम अरोड़ा" कलमजन किये जाने योग्य है व साथ इन्तकाल संख्या 453 दिनांक 18.2.2013 के आधार पर बशीर अहमद के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या–1 से 14 का नाम भी कलमजन होने योग्य है।

वादीगण ने यह निवेदन है कि प्रतिवादीगण संख्या–1 से 15 चक 2 एसटीजी के वर्तमान राजस्व अभिलेख में बशीर अहमद एवं परमानंद के नाम दर्ज गलत प्रविष्टि का नाजायज फायदा उठाते हुये उक्त भूमि को बैय, मुन्तकिल व वितीय संस्था को अधिभारित करने की धमकी दे रहे हैं तथा वादीगण को बेदखल करने को कटिबद्व हैं। प्रतिवादीगण का प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं हैं बल्कि उनके द्वारा अपने हक व हिस्सा की भूमि पूर्व में मुन्तकिल की जा चुकी है। प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज गलत प्रविष्टि का अवलम्ब लेकर यह भूमि बैय, मुन्तकिल व अधिभारित कर दी जाती है तो वादीगण को अपरिमेय क्षति होगी तथा उन्हें दीगर मुकदमाबाजी में उलझना पड़ेगा। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है कि वे प्रश्नगत भूमि चक 2 एसटीजी खाता संख्या 53/42 सम्वत 2068–2071 तादादी 6.072 हैक्टेयर के किसी भी भू–भाग को किसी भी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल तथा अधिभारित नहीं करें व वादीगण के कब्जा काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करें।

वादीगण ने यह कथन किये हैं कि चक 2 एसटीजी की प्रश्नगत 24 बीघा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 मुताबिक खरीद काबिज है तथा खरीद के समय से ही काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 17 के संयुक्त आधिपत्य व धारण में पत्थर नम्बर 99/261 (53) के किला नम्बर 3–8–13–14–17–18 कुल 6 बीघा व वादी संख्या–4 के कब्जा काश्त में पत्थर नम्बर 99/260 (41) के किला नम्बर 22 से 24, पत्थर नम्बर 99/261 (53) के किला नम्बर 2–9–12 कुल 6 बीघा व वादीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त आधिपत्य में पत्थर नम्बर 99/261 (53) के किला नम्बर 4 व 7 कुल 2.00 बीघा कुल तादादी 14.00 बीघा तथा वादिया संख्या 5 के एकल आधिपत्य में पत्थर नम्बर 100/261 (52) के किला नम्बर 1, 2, 9 से 12 व पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर 5–6–15–16 कुल 10 बीघा है। वादी संख्या 1 नायब सिहं के कब्जा काश्त में पत्थर नम्बर 99/261 (53) का किला नम्बर 3, 4 व किला नम्बर 8 का उतरी निस्फ हिस्सा कुल 2 बीघा 10 बिस्वा, वादी संख्या 2 अजायब सिहं के कब्जा काश्त में पत्थर नम्बर 99/261 (53) के किला नम्बर 7, 14, व किला नम्बर 18 का

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उतरी निस्फ हिस्सा कुल 2 बीघा 10 बिस्वा, वादी संख्या–3 हरविन्द्र सिहं के कब्जा काश्त में पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर 8 का निस्फ दक्षिणी हिस्सा व किला नम्बर 13 कुल 1 बीघा 10 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 17 जगतार सिहं के कब्जा काश्त में पत्थर नम्बर 99/261 (53) के किला नम्बर 17 व किला नम्बर 18 का निस्फ दक्षिणी हिस्सा कुल 1 बीघा 10 बिस्वा व वादी संख्या 4 बलविन्द्र सिहं के कब्जा काश्त में पत्थर नम्बर 99/260 (41) किला नम्बर 22 से 24 व पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर 2, 9, 12 कुल 6 बीघा व वादिया संख्या 5 बलजीत कौर के कब्जा काश्त में पत्थर नम्बर 100/261 (52) किला नम्बर 1, 2, 9 से 12, पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर 5–6–15–16 कुल 10 बीघा है। वादीगण ने इसी अनुसार मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

वादपत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 ने उपस्थित आने के बावजूद जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया व प्रतिवादीगण संख्या 15 व 18 से 20 ने भी बावजूद तामील उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 16 पैरोकारराज ने जबावदावा प्रस्तुत कर राजस्व अभिलेख की स्थिति को स्वीकार किया है।

साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 1 नायब सिहं ने साक्ष्य में उपस्थित होकर शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है तथा वादपत्र के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श 1 से प्रदर्श 45 प्रस्तुत किये तथा अपनी साक्ष्य समाप्त की। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श 1 से प्रदर्श 45 का अवलोकन किया।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 से यह स्पष्ट है कि कुल 45 बीघा भूमि बशीरअहमद पि0मु0 नूरनिशा निस्फ व भारत सरकार निस्फ अलॉटी परमानन्द वल्द दौलतराम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी तथा इन्तकाल संख्या 30 प्रदर्श 4 से चक 2 एसटीजी में परमानन्द के पक्ष में सनद जारी होने से पत्थर नम्बर 105/256 के किला नम्बर 3/0.10, 4, 6 से 8, 13 से 18 कुल 10 बीघा 10 बिस्वा तथा कुल 900 हिस्सा में से परमानन्द पुत्र दौलतराम के नाम 200 हिस्सा, बशीर अहमद पि0मु0 नूरनिशा के नाम 450 हिस्सा व राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम 240 हिस्सा दर्ज हुआ। भू–प्रबन्ध के दौरान इस 45 बीघा भूमि में से 24 बीघा भूमि चक 2 एसटीजी में पैमूद हुई जो तथ्य खतौनी जमाबन्दी प्रदर्श 5 से स्पष्ट है व शेष 21 बीघा भूमि चक 1 एसटीजी में पैमूद हुई जो तथ्य खतौनी जमाबन्दी प्रदर्श 6 व प्रदर्श 7 से स्पष्ट है। प्रदर्श 5 खतौनी जमाबन्दी में 24 बीघा भूमि अंकित होने के बावजूद जमाबन्दी में "कुल 900 हिस्सा बशीर अहमद पि0मु0 नूरनिशा 450 हिस्सा परमानन्द वल्द दौलतराम कौम अरोड़ा 210 हिस्सा राष्ट्रपति भारत सरकार खातेदार" दर्ज है जबकि परमानन्द को आंवटित 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि चक 1 एसटीजी में प्रदर्श–6 के जरिये पैमूद हो चुकी थी। वादीगण ने

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Web Copy : Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिये नजरीनक्शा प्रदर्श 3 प्रस्तुत किया है। चक 2 एसटीजी में राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम दर्ज 240 हिस्सा कृपाल सिहं वल्द इन्द्र सिहं जाति जटसिख को आंवटित होने का तथ्य इन्तकाल संख्या 49 प्रदर्श 8 से साबित है तथा कृपाल सिहं के नाम दर्ज उक्त भूमि सिविल न्यायालय की डिक्री के अनुसरण में जंगीर कौर धर्मपत्नि श्री गुरदयाल सिहं के नाम इन्तकाल संख्या 23 प्रदर्श 9 से दर्ज होना साबित है। बशीरअहमद द्वारा चक 2 एसटीजी में स्थित अपनी 12 बीघा भूमि में से प्रदर्श 10 बैयनामा के जरिये 6 बीघा भूमि वादी संख्या 4 बलविन्द्र सिहं को विक्रय किया जाना व प्रदर्श 11 बैयनामा के जरिये 6 बीघा भूमि वादीगण संख्या-1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 17 को विक्रय किया जाना साबित है तथा इन बैयनामों के आधार पर इन्तकाल संख्या 60 प्रदर्श 12 व इन्तकाल संख्या 92 प्रदर्श 13 उक्त क्रेतागणों के नाम दर्ज होना साबित है। श्रीमति जंगीर कौर धर्मपत्नि श्री गुरदयाल सिहं द्वारा क्रयशुदा 12 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा प्रदर्श 14 श्रीमति बलजीत कौर-वादिया संख्या 5 को विक्रय किये जाने के उपरान्त शेष 2 बीघा भूमि उसके नाम दर्ज रहना इन्तकाल संख्या 190 प्रदर्श-15 से साबित है तथा यह 2 बीघा भूमि श्रीमति जंगीर कौर द्वारा वादीगण वादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र प्रदर्श 16 से विक्रय करना व इन्तकाल संख्या 193 प्रदर्श 17 से वादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होना साबित है। इस प्रकार चक 2 एसटीजी की कुल 24 बीघा भूमि में से वादी संख्या 4 द्वारा 120 हिस्सा अर्थात 6 बीघा तथा वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 17 द्वारा बहिस्सा बराबर 120 हिस्सा अर्थात 6 बीघा तथा वादिया संख्या 5 द्वारा 200 हिस्सा अर्थात 10 बीघा व वादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा बहिस्सा बराबर 40 हिस्सा अर्थात 2 बीघा क्रय किया जाना अभिलेखीय साक्ष्य से साबित है। इसी प्रकार चक 1 एसटीजी में पैमूद हुई 21 बीघा भूमि में से बशीरअहमद के नाम 15 बीघा दर्ज होना जमाबन्दी प्रदर्श 18 व प्रदर्श 19 से साबित है तथा बशीरअहमद द्वारा इस भूमि को अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया जाना इन्तकाल संख्या 57 प्रदर्श 20 इन्तकाल संख्या 75 प्रदर्श 22, इन्तकाल संख्या 84 प्रदर्श 23, इन्तकाल संख्या 107 प्रदर्श 24 व इन्तकाल संख्या 110 प्रदर्श 25 से साबित है तथा परमानन्द पुत्र दौलतराम के नाम चक 1 एसटीजी में दर्ज रही भूमि चिमनलाल पुत्र बीरबलदास को विक्रय किये जाने का तथ्य इन्तकाल संख्या 44 प्रदर्श 32 से साबित है। उक्त अभिलेखीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जमाबन्दी चक 2 एसटीजी प्रदर्श 45 में बशीरअहमद पि0मु0 नूरनिशा के नाम दर्ज 210 हिस्सा व परमानन्द पुत्र दौलतराम के नाम दर्ज 210 हिस्सा गलत रूप से राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा यह त्रुटि जरिये घोषणा कलमजन किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण ने उपस्थित आकर उक्त अभिलेखीय साक्ष्य के विरूद्व कोई खण्डनीय साक्ष्य एवं जबावदेही प्रस्तुत नहीं की है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी	

eCourts Copy Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 17 ने जिन विक्रय–पत्रों के आधार पर भूमि खरीद की है वह भूमि विशिष्ट किलों में खरीदशुदा है तथा पी0डब्ल्यू0–1 की साक्ष्य अनुसार वे खरीद के मुताबिक कब्जा काश्त में है। अतः वादीगण वादपत्र में अंकित अनुसार खाता विभाजन की अंतिम डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

उक्त विवेचन अनुसार वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाता है तथा इस आशय की घोषणा की जाती है कि चक 2 एसटीजी के खाता संख्या 53/42 सम्वत 2068–2071 व वर्तमान जमाबन्दी 53/52 सम्वत 2072–2075 पत्थर नम्बर 99/260 (41) किला नम्बर 22 से 24, पत्थर नम्बर 100/261 (52) किला नम्बर 1, 2, 9 से 12, पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर–2 से 9, 12 से 18 कुल 24 बीघा अर्थात 6.072 हैक्टेयर में वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 17 बहिस्सा बराबर 120 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 120 हिस्सा, वादीगण संख्या 1 व 2 बहिरसा बराबर 40 हिस्सा तथा वादिया संख्या 5 का 200 हिस्सा के खातेदार हैं। राजस्व अभिलेख में उक्त जमाबन्दी के खाता में प्रविष्टि ''बशीर अहमद पि0मु0 नूरनिशा 210 हिस्सा कौम राठ, परमानन्द वल्द दौलतराम 210 हिस्सा कौम अरोड़ा'' को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा इन्तकाल संख्या 453 दिनांक 18.02.2013 के आधार पर स्व0 श्री बशीरअहमद के वारिसान के रूप में प्रतिवादीगण संख्या–1 से 14 के नाम दर्ज प्रविष्टि व दौराने दावा परमानन्द के वारिसान के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 494 दिनांक 22.11.2013 के आधार पर स्व0 श्री परमानन्द के वारिसान के रूप प्रतिवादीगण संख्या 15 व 18 से 20 के नाम दर्ज प्रविष्ट को भी कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 17 के पक्ष में खाता विभाजन की डिक्री इस प्रकार से प्रदत की जाती है कि चक 2 एसटीजी के वर्तमान खाता संख्या 53/52 की 6.072 हैक्टेयर में वादी संख्या–1 के नायब सिहं के नाम पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर 3–4 व किला नम्बर 8/0.10 बिस्वा उतरी, कुल 2 बीघा 10 बिस्वा, वादी संख्या 2 अजायब सिहं के नाम पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर 7–14 व किला नम्बर 18/0.10 बिस्वा उतरी कुल 2 बीघा 10 बिस्वा, वादी संख्या 3 हरविन्द्र सिहं के नाम पत्थर नम्बर 99/261 (53) के किला नम्बर 8/0.10 दिस्वा दक्षिणी, किला नम्बर 13 कुल 1 बीघा 10 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 17 जगतार सिहं के नाम पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर 17 व किला नम्बर 18/0.10 बिस्वा दक्षिणी कुल 1 बीघा 10 बिस्वा व वादी संख्या–4 बलविन्द्र सिहं के नाम पत्थर नम्बर–99/260 (41) के किला नम्बर 22 से 24 व पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नंम्बर 2–9–12 कुल 6 बीघा व वादिया संख्या 5 बलजीत कौर के नाम पत्थर नम्बर 100/261 (52) किला नम्बर 1, 2, 9 से 12, पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर 5–6–15–16 कुल 10 बीघा का खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

व 18 से 20 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे चक 2 एसटीजी के खाता संख्या 53/52 में वर्णित 6.072 हैक्टेयर भूमि को किसी भी प्रकार से रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करें व वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करें। तद्नुसार स्टाम्पशुल्क पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4-4-18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालतः–सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

बईजलासः–सुरेन्द्र सिहं पुरोहितं, आर0ए0एस0

नायब सिहं आदि बनाम नूरइलाही आदि

दावा बाबत 88, 53 व 188 आरटीए राजस्व वाद 129 वर्ष 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू मेरे बहाजरी श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता–वादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाता है तथा इस आशय की घोषणा की जाती है कि चक 2 एसटीजी के खाता संख्या 53/42 सम्वत 2068–2071 व वर्तमान जमाबन्दी 53/52 सम्वत 2072–2075 पत्थर नम्बर 99/260 (41) किला नम्बर 22 से 24, पत्थर नम्बर 100/261 (52) किला नम्बर 1, 2, 9 से 12, पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर–2 से 9, 12 से 18 कुल 24 बीघा अर्थात 6.072 हैक्टेयर में वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 17 बहिस्सा बराबर 120 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 120 हिस्सा, वादीगण संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर 40 हिस्सा तथा वादिया संख्या 5 का 200 हिस्सा के खातेदार हैं। राजस्व अभिलेख में उक्त जमाबन्दी के खाता में प्रविष्टि ''बशीर अहमद पि0मु0 नूरनिशा 210 हिस्सा कौम राठ, परमानन्द वल्द दौलतराम 210 हिस्सा कौम अरोड़ा'' को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा इन्तकाल संख्या 453 दिनांक 18.02.2013 के आधार पर स्व0 श्री बशीरअहमद के वारिसान के रूप में प्रतिवादीगण संख्या–1 से 14 के नाम दर्ज प्रविष्टि व दौराने दावा परमानन्द के वारिसान के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 494 दिनांक 22.11.2013 के आधार पर स्व0 श्री परमानन्द के वारिसान के रूप प्रतिवादीगण संख्या 15 व 18 से 20 के नाम दर्ज प्रविष्ट को भी कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 17 के पक्ष में खाता विभाजन की डिक्री इस प्रकार से प्रदत की जाती है कि चक 2 एसटीजी के वर्तमान खाता संख्या 53/52 की 6.072 हैक्टेयर में वादी संख्या–1 के नायब सिहं के नाम पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर 3–4 व किला नम्बर 8/0.10 बिस्वा उतरी, कुल 2 बीघा 10 बिस्वा, वादी संख्या 2 अजायब सिहं के नाम पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर 7–14 व किला नम्बर 18/0.10 बिस्वा उतरी कुल 2 बीघा 10 बिस्वा, वादी संख्या 3 हरविन्द्र सिहं के नाम पत्थर नम्बर 99/261 (53) के किला नम्बर 8/0.10 बिस्वा दक्षिणी, किला नम्बर 13 कुल 1 बीघा 10 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 17 जगतार सिहं के नाम पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर 17 व किला नम्बर 18/0.10 बिस्वा दक्षिणी कुल 1 बीघा 10 बिस्वा व वादी संख्या–4 बलविन्द्र सिहं के नाम पत्थर नम्बर–99/260 (41) के किला नम्बर 22 से 24 व पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर 2–9–12 कुल 6 बीघा व वादिया संख्या 5 बलजीत कौर के नाम पत्थर नम्बर 100/261 (52) किला नम्बर 1, 2, 9 से 12, पत्थर नम्बर 99/261 (53) किला नम्बर 5–6–15–16 कुल 10 बीघा का खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में डिक्री का अमलदरामद किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 व 18 से 20 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे चक 2 एसटीजी के खाता संख्या 53/52 में वर्णित 6.072 हैक्टेयर भूमि को किसी भी प्रकार से रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करें व वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करें।

.....X.....लीज.....X.....मुबलिग.....X.....

.....X.....बाबत.....X.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरह.....X.....

से तारीख वसूलयाबी तक .....X.....

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 04 माह 04 सन् 2018 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

विवरण पक्षकार

1. नायब सिहं
2. अजायब सिहं
3. हरविन्द्र सिहं
4. बलविन्द्र सिहं

——पिसरान श्री जंगीर सिहं, जाति जटसिख, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़—

5. बलजीत कौर धर्मपत्नि श्री अलबेल सिहं, जाति जटसिख, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़—

——वादीगण——

बनाम

1. नूरइलाही धर्मपत्नि स्व0 श्री बशीर अहमद
2. अमीराबेगम
3. नूरदौलत
4. अजीजबेगम
5. बख्तावर बेगम
6. लालसैन
7. भागसैन

——पुत्रीया स्व0 श्री बशीरअहमद

8. सुबेरखां
9. सैयतखां
10. कालेखां
11. दारेखां
12. भारेखां
13. सतारेखां
14. मक्खनखां

——पुत्रगण स्व0 श्री बशीरअहमद

जाति मुसलमान (राठ) निवासी खुन्जा, तहसील व जिला हनुमानगढ़—

15. इन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री परमानन्द, जाति अरोड़ा, निवासी मक्कासर, हाल आबाद अनूपगढ़, तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर—
16. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
17. जगतार सिहं पुत्र श्री जंगीर सिहं, जाति जटसिख, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
18. नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री परमानन्द
19. शीलोदेवी
20. विमलादेवी

——पुत्रीया स्व0 श्री परमानन्द

जाति अरोड़ा, निवासीगण सूरतगढ़ सी/ओ—एल0के0 ट्रैंडिग कम्पनी, पुरानी धानमण्डी, सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर—

——प्रतिवादीगण——

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner